>

Title: Need to strictly implement the law banning manual scavenging in the country.

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा के साथ आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। आज पूरे देश में 15 लाख मैला उठाने वाले और गटर में जाकर सफाई करने वाले लोग हैं। मैं कुछ दिन पहले ही आउटलुक वगैरह में भी पढ़ रही थी। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश में कई सालों से इसे बंद करने का कानून बन रहा है, लेकिन हर साल इसे आगे बढ़ा दिया जाता है और आज बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे गुजरात के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दी है कि जो मैला उठाने वाले हैं, उनको यह सपना आया था कि भगवान ने कहा कि आप यह कार्य करो और यह भी एक अच्छा कार्य है। मै यह कहना चाहूंगी कि जो ऐसा कहने वाले लोग हैं, उनको जरूर एक बार उन गली कूचों में और रेल पटरी में जाकर सिर्फ दो मिनट के लिए वहां जाकर खड़ा होना चाहिए और जो व्यक्ति वहां से मैला उठाते हैं, उनको जाकर देखना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि क्या सरकार ने यह सर्वे किया है कि मैला गटर में जाने वाले लोगों में से कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने मर चुके हैं और कितने बीमारियों से पीड़ित हैं? आज बाहर के देश- नीदरलैंड, पोलैंड, नार्वे ब्रिटेन इत्यादि जैसे देश इंडिया के लिए इस चीज का विरोध कर रहे है कि भारत में जो यह मैला उठाने का कार्य हो रहा है, यह बंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हिन्दुस्तान जो लोगों को जीने की प्रेरणा देता रहा है, इंसानियत का पाठ दूसरे देशों को पढ़ाता रहा है, आज हम ही इस अमानवीय चीज को रोकने के लिए अभी तक इस कानून को इम्पलीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपके तहत जो वर्ष 2010 तक का समय अब दे दिया गया है, इसे जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि यह उन व्यक्तियों के साथ बहुत क्रूरता का अमानवीय व्यवहार और मजाक है। इसे जितनी जल्दी हो, बंद करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक लाइन कहूंगी कि बिन्देश्वरी पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के हैं, उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने पहल करके आज उन लोगों को समाज से जोड़ने का काम किया है और कई लोगों को इस कार्य से हटाकर अपने समाज में नौकरियां भी दी हैं। सरकार को उन्हें उनके इस काम से मुक्ति दिलाकर उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहए।

MR. SPEAKER: The matter raised by you is a good and important matter.

...(*Interruptions*)